न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 94/2022

वादीगण :—

1. प्रकाशसिंह पुत्र शिवजीसिंह
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र शिवजीसिंह

जातियान माली (कच्छवाह) निवासीगण सोजतरोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. ईश्वरलाल पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहमण निवासी सरदारपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
2. गोरधनलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी सरदारपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
3. माणकचंद पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड़ पाली तहसील व जिला पाली राजस्थान।
4. शिवलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी सरदारपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
5. डुंगरराम पुत्र मगराज जाति ब्राहमण निवासी सरदारपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
6. नेमाराम पुत्र मगराज जाति ब्राहमण निवासी सरदारपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
7. मोतीलाल पुत्र मगराज जाति ब्राहमण निवासी सरदारपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
8. हड़मान पुत्र मगराज जाति ब्राहमण दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड़ पाली तहसील व जिला पाली राजस्थान।
9. पुखराज पुत्र नरसिंह जाति ब्राहमण निवासी सरदारपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
10. बाबूलाल पुत्र नरसिंह जाति ब्राहमण निवासी सरदारपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
11. भंवरलाल पुत्र नरसिंह जाति ब्राहमण निवासी सरदारपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत तहसील सोजत

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितिः—
1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।

दिनांक – 27/09/22

—: <u>निर्णय</u> :—

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा सरहद मौजा सरदारपुरा के वर्तमान खसरा संख्या 491/93 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

7700 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण की खरीदसुदा, कब्जासुदा, मालिकाना हक की आई हुई स्थित है। सेटलमेंट के गत खसरा संख्या 36/2 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा के वर्तमान खसरा मिलान के अनुसार खसरा संख्या 93 रकबा 6.5700 हैक्टर बनाये गये। उक्त कृषि भूमि में से 05 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पिता मोहनलाल, मघराज पुत्र जगननाथ व नरसिंह पुत्र हीरालाल जाति ब्राहमण निवासीगण सरदारपुरा से जरिये रजिस्टर्ड विलेख दिनांक 20/09/1977 को 4,000/– अक्षरे चार हजार रूपयें में बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया था, जिसका बेचाननामा दिनांक 10/10/1977 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 74 क्रम संख्या 732 के सिलसिला पृष्ट संख्या 361, 362, 363, 364, पर पंजीवद्ध किया गया। तब से उक्त कृषि भूमि पर वादीगण बतौर खातेदार के काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि का कब्जा वास्तविक व भौतिक रूप से वादी को सुपुर्द कर दिया था। तब से वादी उक्त कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी रोक टोक व बाधा के काबिज काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि के खसरा संख्या 491/93 रकबा 0.7700 हैक्टर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज सुदा है। खसरा मिलान के अनुसार गत खसरा संख्या 36/2 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा से नया खसरा संख्या 93 रकबा 6.5700 हैक्टर बने। जिसमें से वादी के द्वारा 0.7700 हैक्टर कृषि भूमि खरीद करने से लेकर आज दिन तक काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसके राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 491/93 रकबा 0.7700 हैक्टर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चला आ रहा है। वादी के पक्ष में उक्त बेचान रजिस्ट्री निष्पादन करने के बाद उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु तत्कालिन पटवारी हल्का को बेचान रजिस्ट्री की फोटो प्रति उपलब्ध करवा दी थी। लेकिन उस दौरान सेटलमेंट चलने से उक्त कृषि भूमि के नये वट्टा संख्या दर्ज हो जाने की वजह से उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के नाम दर्ज नही किया जा सका तथा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदार वादीगण के प्रिंसिपल विक्रेता के पुत्र के नाम दर्ज किया गया था, जिससे उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 11 का नाम ही दर्ज चला आ रहा है। जबकि प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त नही है। वादीगण के प्रिंसिपल विक्रेता का स्वर्गवास हो जाने से उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया है। जो नामान्तरण वादी के हक व अधिकारों के विरूद्ध बेआसर, शून्य एवं अप्रभावी है। जिससे प्रतिवादी संख्या 01 से 11 को किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार उत्पन्न नही होता है। चुंकि प्रतिवादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त वादस्थ कृषि भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 20/09/1977 को वादीगण के पक्ष निष्पादित कर दिये थे तथा कब्जा भी वादी को सुपुर्द कर दिया था। नामान्तरण एक फिस्कल प्रक्रिया है, जिससे प्रतिवादी संख्या 01 से 11 को कोई हक व अधिकार उत्पन्न नही होता है। वादीगण के द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि का नामान्तरण बेचान रजिस्ट्री के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी

दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादस्थ कृषि भूमि एवं वादीगण एवं उनके पिता शिवजी सिंह के द्वारा दिनांक 20.09.1977 को खरीद की गई है। उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण वादीगण एवं उनके पिता शिवजी सिंह का स्वर्गवास दिनांक 20.10.1983 को हो चुका है। जिससे उनका हक हिस्सा वादीगण एवं उनकी पुत्रीया विमलेश कुमारी, दुर्गेश कुमारी, कमलेश कुमारी, परमेश्वरी व उषारानी में निहित हुए, पुत्रीयो के द्वारा अपने पिता से प्राप्त सम्पति के बारे में एक स्वीकारोक्ति करवाया जिसमें उक्त सम्पति में अपने हक व अधिकार वादीगण के पक्ष में आधिपत्य होने हेतू सहमति दी गई है। जिससे उक्त सम्पति के मालिक वादीगण हुए है। वादीगण अपनी उक्त कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु नकले दिनांक 15/04/2022 को लेने पर जानकारी में आया की उक्त कृषि भूमि में वादीगण का नाम दर्ज नही है, तब पंजीयन अधिकारी, पाली से रजिस्ट्री की नकले दिनांक 20/04/2022 प्राप्त कर प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादीगण ने एक साथ उपस्थित से इंकार कर दिया। ऐसी स्थिति वादीगण के पास वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा। इसलिए यह वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश है। वादीगण बोनाफाईड पर्चेजर है तथा उक्त खरीद की गई कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 से 11 वादी को वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। बेचान रजिस्ट्री के आधार पर गत खसरा संख्या 36/2 से बने नये खसरा संख्या 93 में से खरीद की गई कृषि भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 491/93 रकबा 0.7700 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 11 के स्थान पर वादीगण अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 11 वादीगण के उक्त कृषि भूमि के कब्जे काश्त में बाधा, अवरोध एवं दखल अन्दाजी पैदा नही करने एवं बेचान करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना कानुन्न आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश है। बिनायदावा दिनांक 20/09/1977 को प्रतिवादीगण के पिता के द्वारा वादस्थ कृषि भूमि का बेचान वादीगण के पक्ष में करने से एवं दिनांक 15/04/2022 को उक्त कृषि भूमि की नकले प्राप्त करने एवं बेचान रजिस्ट्री की नकले प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 01 से 11 को दिखाने एवं उक्त बेचान रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु सहमति के लिए निवेदन करने पर प्रतिवादीगण के द्वारा एक साथ उपस्थित होने से इंकार करने से बमुकाम सरदारपुरा तहसील सोजत उत्पन्न हुआ। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा सरदारपुरा तहसील सोजत में स्थित होने से यह वाद श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का है। वादीगण की ईस्तदुआ है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादर फरमायी जावे कि सरहद मौजा सरदारपुरा वर्तमान खसरा संख्या 491/93 रकबा 0.7700 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

की कृषि भूमि का बेचान रजिस्ट्री का दिनांक 20/09/1977 के आधार पर खातेदार होने से प्रतिवादी संख्या 01 से 11 के स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज किये जाने एवं प्रतिवादीगण का नाम हटवाये जाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिवादी संख्या 01 से 11 को पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या संख्या 01 से 12 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता वादीगण ने शहादव वादीगण के मुख्यपरीक्षण हेतु वादीगण के तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर बयान पीडब्ल्यु–1 कलमबद्ध करवाये गए। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबंदी सम्वत 2074–77 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–1, खसरा नम्बर 36/2 व नया खसरा नम्बर 93 मं सें 7 बीघा कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्रीकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2 है, पेश किये है। जिन्है प्रदर्शितकरवाये गये जिरह प्रति शुन्य रही।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया है कि सरहद मौजा सरदारपुरा वर्तमान खसरा संख्या 491/93 रकबा 0.7700 हैक्टर की कृषि भूमि का बेचान रजिस्ट्री का दिनांक 20/09/1977 के आधार पर खातेदार होने से प्रतिवादी संख्या 01 से 11 के स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज किये जाने एवं प्रतिवादीगण का नाम हटवाये जाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिवादी संख्या 01 से 11 को पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, बयान गवाह पी.डब्ल्यू –1 श्री प्रकाशसिंह पुत्र ईश्वरसिंह सम्वत 2074–77 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–1 एवं खसरा नम्बर 36/2 व नया खसरा नम्बर 93 मं सें 7 बीघा कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2 का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया। एवं वकील वादीगण की दौराने बहस मौखिक दलीलों पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुचते कि चुंकि प्रतिवादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त वादस्थ कृषि भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 20/09/1977 को वादीगण के पक्ष निष्पादित कर दिये थे तथा कब्जा भी वादी को सुपुर्द कर दिया था। नामान्तरण एक फिस्कल प्रक्रिया है, जिससे प्रतिवादी संख्या 01 से 11 को कोई हक व अधिकार उत्पन्न नही होता है। वादीगण के द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि का नामान्तरण बेचान रजिस्ट्री के आधार पर दर्ज करवाने का अधिकारी है। सरहद मौजा सरहद मौजा सरदारपुरा के वर्तमान खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मोजत

संख्या 491/93 रकबा 0.7700 हैक्टर कृषि भूमि आई हुई स्थित है। वादस्थ भूमि के गत खसरा नम्बर 36/2 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा का नया खसरा सख्या 93 रकबा 6.5700 हैक्टर बना। इस भूमि में सें रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पिता मोहनलाल, मघराज पुत्र जगननाथ व नरसिंह पुत्र हीरालाल जाति ब्राहमण निवासीगण सरदारपुरा से जरिये रजिस्टर्ड विलेख दिनांक 20/09/1977 को 4,000/– अक्षरे चार हजार रूपयें में बेचान दिनांक 10/10/1977 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 74 क्रम संख्या 732 के सिलसिला पृष्ट संख्या 361, 362, 363, 364, पर पंजीबद्ध किया गया जिसकी पुष्टि प्रदर्श –2 से होती है। वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदार वादीगण के प्रिसिंपल विक्रेता के वारिसान के नाम दर्ज किया गया था, जिससे उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 11 का नाम ही दर्ज चला आ रहा है। वादीगण के प्रिंसिपल विक्रेता का स्वर्गवास हो जाने से उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया है। तहसीलदार सोजत द्वारा दिनांक 17.04.2012 को आदेश पारित कर खसरा नम्बर 93 व 94 के दर्ज खातेदारो के मध्य आपसी सहमति का बंटवाडा के आदेश पारित किया गया। इस आदेश की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 400 दिनांक 27.04.12 से वादीगण द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 93/6 बने तथा ऑन लाईन सेग्रीकेशन के दौरान इसी भूमि के खसरा नम्बर 491/93 दिए जो कि आज भी राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादीगण के नाम दर्ज सुदा है। प्रतिवादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त वादस्थ कृषि भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 20/09/1977 को वादीगण के पक्ष निष्पादित कर दिये थे तथा कब्जा भी वादी को सुपुर्द कर दिया था। इसलिए प्रति संख्या 1 से 11 के पिता द्वारा वादीगण के पक्ष में बैचान कर देने से कानूनन अब कोई हिस्सा प्रतिवादीगण का शेष नही रह जाता है। लिहाजा माफिक बैचाननामा दिनांक 20.09.1977 के आधार पर श्री शिवजीसिंह पुत्र श्री अमरसिंह, श्री राजेन्द्रसिंह, प्रकाशसिंह पिसरान शिवजीसिंह कौम माली कच्छावा निवासीगण सोजत रोड को खसरा नम्बर 491/93 रकबा 0.7700 हैक्टर भूमि का प्रतिवादीगण के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है एवं चूकि खरीदकर्ता शिवजीसिंह, प्रकाशसिंह, व राजेन्द्रसिंह में सें शिवजीसिंह का देहान्त हो जाने से शिवजीसिंह के विधिक वारिसानों की जांच कर बाद जॉच विधिक वारिसानों के नाम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेशः–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री बहक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सरहद मौजा सरदारपुरा के वर्तमान खसरा संख्या 491/93 रकबा 0.7700 हैक्टर किस्म चा0सो0 की भूमि का माफिक

उपखण्ड अधिकारी

बैचाननामा दिनांक 20.09.1977 के आधार पर श्री शिवजीसिंह पुत्र श्री अमरसिंह, श्री राजेन्द्रसिंह, प्रकाशसिंह पिसरान शिवजीसिंह कौम माली कच्छावा निवासीगण सोजत रोड को प्रतिवादीगण के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शिवजीसिंह पुत्र अमरसिंह का देहान्त हो जाने से शिवजीसिंह पुत्र अमरसिंह के विधिक वारिसानों की जांच कर बाद जॉच विधिक वारिसानों के नाम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिया जाते है। प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रतिलिपि भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 27/09/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत